

SD File

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

98

कार्यालय आदेश

का0आ0संख्या-प्र0/मु0स्था0/निजी-107/14- '18'

पटना, दिनांक:- 08/08/19

श्री विपिन सम्राट, सहायक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2498 दिनांक 12.04.2007 के आलोक में दिनांक 25.06.2019 से 09.07.2019 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यह अवकाश शिशु देखभाल छुट्टी लेखा संलग्न विहित प्रपत्र में संघारित है।

सरकार के उप सचिव।